Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
..ja Bhawan, Kanwali Road
..ehradun-248001
..hone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून - 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या 6946 –नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 09अनु'ए' / बी–1

दिनांक 14अक्टूबर,2011

कार्यालय ज्ञापन

निदेशक मण्डल द्वारा 52वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की महिला सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा सन्तान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा ।

(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्मिक बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा ।

(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एंव अवकाश खाता रखा जाएगा ।

(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश मे सम्मिलित माना जाएगा ।

2– बाल्य देखभाल अवकाश [Child Care Leave] निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा :–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश केलैण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार अनुमन्य होगा ।

(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा ।

(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

3– उपर्युक्त व्यस्था दिनांक 19 अगस्त,2011 से प्रवृत्त होगी ।

निदेशक[मानव संसाधन]

संख्या 6946–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 09अनु'ए' / बी–1,तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव(ऊर्जा),उत्तराखंड शासन एंव अध्यक्ष,उ0पा0का0लि0,सचिवालय,सुभाष मार्ग,देहरादून।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
3– समस्त निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4– समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1) / मुख्य अभियन्ता(स्तर–2) / अधीक्षण अभियन्ता,उ0पा0का0लि0।
5– कम्पनी सचिव,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
6– समस्त महाप्रबन्धक(वित्त) / उप महाप्रबन्धक(वित्त) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून
9– अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0)एंव लोक सूचनाधिकारी(मा0सं0)उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
10–सूचना प्रोद्योगिकी विभाग,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
12–समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
13– कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाईल ।

[शरद कृष्ण]
निदेशक[मानव संसाधन]

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali Road
De adun-248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून - 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–1 -2769771

संख्या —नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 09अनु'ए' / बी—1 दिनांक 23 अगस्त,2010

कार्यालय ज्ञापन

कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा 47वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कारपोरेशन में सम्प्रति प्रवृत्त पूर्ववर्ती उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश सं.350—काविनी / पाकालि—29 / 2000—9—काविनी / 87,दिनांक 17—05—200 द्वारा अनुमन्य प्रसूति अवकाश की अवधि शासनादेश सं.250 / xxxvii(7)/2009,दि.24—08—2009 की अनुरूपता अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन किए जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

निदेशक [मानव संसाधन]

संख्या 3503 —नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 09अनु'ए' / बी—1,तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव,सचिव(ऊर्जा) एंव अध्यक्ष,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,सचिवालय,देहरादून ।
2— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
3— समस्त निदेशक,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4— समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
5— कम्पनी सचिव एंव उप महाप्रबन्धक(विधिक) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
6— महाप्रबन्धक(वित्त) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
7— उप महाप्रबन्धक(वित्त)के0ले0का0 / वितरण / आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
8— उप महाप्रबन्धक(मा0सं0) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
9— सूचना प्रोद्योगिकी विभाग,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
10—समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
11—सम्बन्धित अधिकारीगण / वै0पत्रावली / कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाईल ।

संलग्नक :— यथोक्त शासनादेश ।

[शरद कृष्ण]
निदेशक[मा0सं0]

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0--सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या: 25/xxvii(7)/2009
देहरादून:दिनांक: अगस्त,2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394/दस-99-216/79 दिनांक जून,1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2.अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394 /दस-99-216/79 दिनांक 4 जून,1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3.उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों(यू0जी0सी0,ए0आई0सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी।

4.उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

5.उपर्युक्त आदेश दिनांक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6.संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव सचिव।

संख्या: 25(1)/XXVII(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5 रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7 समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
PH.: 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या –नि0(मा0सं0)/उपाकालि/09अनु'ए'/बी–1

दिनांक 23 अगस्त,2010

कार्यालय ज्ञापन

कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा 47वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कारपोरेशन में सम्प्रति प्रवृत्त पूर्ववर्ती उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश सं.350–काविनी/पाकालि–29/2000–9–काविनी/87,दिनांक 17–05–2000 द्वारा अनुमन्य प्रसूति अवकाश की अवधि शासनादेश सं.250/xxxvii(7)/2009,दि.24–08–2009 की अनुरूपता में अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन किए जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

निदेशक [मानव संसाधन]

संख्या 3503 –नि0(मा0सं0)/उपाकालि/09अनु'ए'/बी–1,तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव,सचिव(ऊर्जा) एंव अध्यक्ष,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,सचिवालय,देहरादून ।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
3– समस्त निदेशक,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4– समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
5– कम्पनी सचिव एंव उप महाप्रबन्धक(विधिक) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
6– महाप्रबन्धक(वित्त) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
7– उप महाप्रबन्धक(वित्त)के0ले0का0/वितरण/आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।
8– उप महाप्रबन्धक(मा0सं0) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
9– सूचना प्रोद्योगिकी विभाग,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
10–समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
11–सम्बन्धित अधिकारीगण/वै0पत्रावली/कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल ।

संलग्नक :– यथोक्त शासनादेश ।

PS ~ D(HR)

[शरद कृष्ण]
निदेशक[मा0सं0]

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0--सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या: 259/ xxvii(7) / 2009
देहरादून:दिनांक: 24अगस्त,2009

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

कार्यालय–ज्ञाप संख्या--सा--4--394 / दस–99--216 / 79 दिनांक 4 जून,1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2.अत: शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय--ज्ञाप संख्या -सा--4–394 / दस--99--216 / 79 दिनांक 4 जून,1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3.उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों(यू0जी0सी0,ए0आई0सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी।

4उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

5उपर्युक्त आदेश दिनांक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6.संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव सचिव।

संख्या: 259(1) / XXVII(7) / 2009 तद्दिनांक
प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5 रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6 समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7 समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9 निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
"शक्ति भवन," 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या–350–कार्मिनी/पाकालि–29/2000–9–कार्मिनी/87, दिनांक– 17 मई, 2000.

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक,
समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।

भाग–29

विषय :–उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत महिला सेवकों हेतु प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग 2–4 के सहायक नियम 153।1।, जिसका उद्धरण सूचनार्थ संलग्न है, में निहित प्राविधानों के अधीन महिला सेवकों को, चाहे वह स्थायी हों अथवा अस्थायी, प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सुविधा उक्त नियम में उल्लिखित कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकतम तीन माह की सीमा के प्रतिबन्धाधीन दो बच्चों तक अनुमन्य है।

2. उक्त प्रकरण में राज्य शासन की अनुरूपता में कारपोरेशन द्वारा सहर्ष यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अब तीन माह के स्थान पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी भी दशा में, जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी सम्मिलित है, दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. प्रश्नगत संदर्भ में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2–4 के सहायक नियम 153।1। की अन्य शर्तें/प्राविधान।समय–समय पर यथा संशोधित।यथावत लागू रहेंगे।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

संलग्नक : यथा उपरोक्त।

। ईश्वर लाल ।
उप महाप्रबन्धक।कार्मिनी।

संख्या–350।1।कार्मिनी/पाकालि–29/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

।1। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
।2। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
।3। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
।4। समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
।5। मुख्य अभियन्ता।जल विद्युत।, उ0प्र0पा0का0लि0/14–विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
।6। समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
।7। समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
।8। जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
।9। उप महाप्रबन्धक।बैठक।, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 7.4.2000 में मद संख्या–तीन।33।/2000 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

। ईश्वर लाल ।
उप महाप्रबन्धक।कार्मिनी।

58

कारपोरेशन आदेश संख्या 350-कार्मिक/पाकालि-29/2000-9-कार्मिक/87 दिनांक 17, मई, 2000 का संलग्नक ।

प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 एवं 154 के उद्धरण।

153- किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण वेतन पर जो वह इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो, विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी निम्न प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, स्वीकृत किया जा सकता है :-

(1) प्रसवावस्था के मामले में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास तक हो सकती है।

परन्तु ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायगा भले ही उसे ऐसा अवकाश अन्यथा अनुमन्य हो। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो या बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाय या विकलांग या अपंग हो जाय तो उसे अपवाद के रूप में, इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन स्वीकृत पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।

(2) गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत गर्भस्राव भी है, प्रसूति अवकाश की अवधि सम्बन्धित महिला सरकारी सेवक के जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान दिये बिना प्रत्येक अवसर पर कुल छः सप्ताह तक हो सकती है, बशर्ते कि अवकाश के आवेदन-पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी-1- x x x निकाल दी गयी।

टिप्पणी-2- ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्ध लागू हों, इस नियम के अधीन देय अवकाश वेतन से उक्त अधिनियम के अधीन तत्समान अवधि के लिए अनुमन्य लाभ की धनराशि को कम कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अधीन उत्प्रेरित गर्भस्राव को भी इस नियम के अधीन "प्रसूति अवकाश" स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ गर्भस्राव का मामला समझा जाना [illegible]

154- प्रसूति छुट्टी को छुट्टी के लेखे के नामे नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

टिप्पणी (नोट)

(1) (x x x) निकाल दी गयी।

(2) प्रसूति छुट्टी के क्रम में नियमित छुट्टी भी, नवजात शिशु की बीमारी की दशाओं में इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जा सकती है कि महिला सरकारी कर्मचारी, प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देख-भाल की आवश्यकता है [illegible] स्थिति नितान्त आवश्यक है।

(3) अस्थायी [illegible] [illegible]कारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत की गयी छुट्टी की अवधि उनकी नियुक्ति जारी रहने की संभावित अवधि से अधिक न होगी।

कार्यालय-ज्ञाप/आदेश संख्या 350-कार्मिक/सी-29/2000-9-कार्मिक, दिनांक 17, मई, 2000 का संलग्नक।

प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 एवं 154 के उद्धरण।

153- किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण वेतन पर, जो वह इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो, विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी निम्न प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, स्वीकृत किया जा सकता है :-

(1) प्रसवावस्था के मामले में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास तक हो सकती है।

परन्तु ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायगा भले ही उसे ऐसा अवकाश अन्यथा अनुमन्य हो। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो या बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाय या विकलांग या अपंग हो जाय तो उसे अपवाद के रूप में इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु यह और, कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन स्वीकृत पिछले प्रसूति [illegible] की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।

(2) गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत गर्भस्राव भी है, प्रसूति अवकाश की अवधि संबंधित महिला सरकारी सेवक के जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान दिये बिना प्रत्येक अवसर पर कुल 6 सप्ताह तक हो सकती है, बशर्ते कि अवकाश के आवेदन-पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी-1- x x x निकाल दी गयी।

टिप्पणी-2- ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्ध लागू हों, इस नियम के अधीन देय अवकाश वेतन से उक्त अधिनियम के अधीन तत्समान अवधि के लिए अनुमन्य लाभ की धनराशि को कम कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन उत्प्रेरित गर्भस्राव को भी इस नियम के अधीन "प्रसूति अवकाश" स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ गर्भस्राव का मामला समझा जाना [illegible]

36

प्रसूति छुट्टी को छुट्टी के लेखे के नामे नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

टिप्पणी (नोट)

(1) (x x x) निकाल दी गयी।

(2) प्रसूति छुट्टी के क्रम में नियमित छुट्टी भी, नवजात शिशु की बीमारी की दशाओं में इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जा सकती है कि महिला सरकारी कर्मचारी, प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देख-भाल की आवश्यकता है ... स्थिति नितान्त आवश्यक है।

(3) अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत की गयी छुट्टी की अवधि उसकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी।

अवकाश देय न हुआ तो अर्ध औसत वेतन पर अवकाश/तथा/अथवा निर्वेतन असाधारण अवकाश लेना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति/कारणवश लिया गया हो जो सम्बन्धित कर्मचारी के नियन्त्रण से बाहर हो, अथवा यह उच्च वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिये लिया गया हो, तो अवकाश की ऐसी अवधि वेतन वृद्धि के निमित्त शामिल करने की स्वीकृति के अधिकार, ऐसे कारणों से पूर्णतः सन्तुष्ट होने पर, परिषद में ही निहित होंगे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अस्थाई कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त सभी प्रकार का अवकाश, जिसमें चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर असाधारण बिना वेतन का अवकाश तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर चिकित्सा अवकाश भी सम्मिलित है, अन्य संगत आदेशों तथा नियमों के यथावत रहते हुये, वेतन वृद्धि के लिये शामिल किया जायेगा। अतः यदि सम्बन्धित अस्थाई कर्मचारी उस मास की पहली तारीख को कार्य पर है जिस मास में उसे वेतन वृद्धि देय है तो वेतन वृद्धि का दिनांक परिपत्र दिनांक 29 जनवरी, 1979 के अधीन संशोधित मूल नियम 26 के अनुरूप पहली तारीख ही होगी।

कृपया विषय में आवश्यक कार्यवाही उपरोक्तानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

राजपत्रित/समकक्ष अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृति किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का उदारीकरण

संख्या-1927-का, रा०वि०प०-एक-230ए/66 दिनांक : सितम्बर, 15, 1981

सम्प्रति परिषद के राजपत्रित/समकक्ष अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश की स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमावली (खण्ड-2 भाग-24) के सहायक नियम 89,90 तथा 91 में विहित प्रक्रियानुसार चैकित्सिक परीक्षणार्थ चिकित्सा परिषद (Medical Board) के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है, ऐसे मामलों को छोड़कर जो उपरोक्त नियमावली के सहायक नियम 93 के अन्तर्गत आते हैं, राजपत्रित अधिकारियों को केवल चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर ही चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और उसके अभाव में उन्हें एक दिन का भी ऐसा अवकाश देय नहीं है। चिकित्सा परिषद की बैठक उसके मुख्यालय पर महीने में केवल एक बार होती है। जो राजपत्रित अधिकारी अपनी अस्वस्थता के कारण चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश उपभोग करना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा परिषद की अगली बैठक तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है भले ही इस बीच में वे स्वस्थ हो गये हों, और अपने कार्य पर वापस आना चाहते हों, क्योंकि ऐसा न करने पर चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अभाव में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता और बाध्य होकर उन्हें अर्जित अवकाश लेना पड़ता है। यदि अपेक्षित अर्जित

राजपत्रित अधिकारियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से परिषद द्वारा राज्य शासन की अनुरूपता में इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नियमों का उदारीकरण करते हुए उनमें निम्नवत समुचित संशोधन कर दिया जाय :—

ऐसे मामलों में जहाँ सहायक नियम 89 के आधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सक (Authorised Medical Attendant), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में संस्तुत अवकाश की अवधि तीन मास से अधिक न हो तथा मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सक (Authorised Medical Attendant) यह प्रमाणित करे कि उनकी राय में सम्बन्धित अधिकारी को चैकित्सिक परीक्षण हेतु चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, सक्षम अधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को मुख्यचिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर ही अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय। ऐसे विषयों में, जहाँ मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सक यह प्रमाणित करें कि उनकी राय में सम्बन्धित अधिकारी को चैकित्सिक परीक्षा हेतु चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है अथवा जहाँ सहायक नियम 89 के अधीन संस्तुत अवकाश की अवधि तीन मास से अधिक हो अथवा तीन मास या उससे कम की अवधि को बढ़ाने की संस्तुति के फलस्वरूप अवकाश की कुल अवधि तीन मास से अधिक होती हो, चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश उपरोक्त नियमों में चिन्हित प्रक्रियानुसार चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर ही स्वीकृत किया जायेगा। सुगम सन्दर्भ हेतु वित्तीय नियमावली के संगत नियमों में राज्य शासन द्वारा किये गये संशोधन संलग्नक में दर्शाए गए हैं।

उपरोक्त प्रस्तर-1 की व्यवस्थानुसार उन अधिकारियों के सम्बन्ध में जिनके वेतनमान की उच्चतम सीमा रु० 1200/-अथवा अधिक हो चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु प्राधिकृत चिकित्सक मुख्य चिकित्साधिकारी/उपमुख्य चिकित्साधिकारी अथवा रीडर, मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान होंगे जबकि अन्य अधिकारियों के लिए प्राधिकृत चिकित्सक राजकीय चिकित्सालयों के उप-प्रभारी, द्वितीय चिकित्साधिकारी अथवा मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान के प्रवक्ता (Lecturer) होंगे जो रोगी को अस्पताल में भर्ती करने में सक्षम हों। उन मामलों में जहाँ अधिकारियों द्वारा बाह्य रोगी (Out-door Patient) के रूप में अथवा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त गैरसरकारी अस्पतालों में भर्ती होकर चिकित्सा कराई गई हो रोगी को भर्ती करने हेतु सक्षम चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सक माने जायेंगे।

इन आदेशों के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश स्वीकृत करने हेतु मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अति० मुख्य अभियन्ता एवं तद्नुरूप मुख्य अधिकारी अपने अधीन कार्यरत सहायक अभियन्ताओं को अधिकतम अनुमन्य सीमा तक तथा अधिशासी अभियन्ता एवं उच्चतर अधिकारियों को 60 दिन की सीमा तक स्वीकार करने में सक्षम होंगे।

उपरोक्त आदेश दिनांक 1 अगस्त, 1981 से प्रभावी होंगे।

संलग्नक

(वित्तीय नियमावली, खण्ड-2 भाग-3 के सहायक नियम 89, 90 तथा 91 का संशोधन)

संशोधित नियम

89. Before a gazetted Servant can be granted leave, or an extension of leave on medical certificate, he/she must obtain a certificate in the following form:—

Statement of the case of ....Name (to be filled in by applicant in the presence of the Chief Medical Officer or the authorised medical attendant).

Appointment held .... Age ....

Total service ....

Previous periods of leave of absence on medical certificate ....

Habits.................. Disease .... History... ....

I...................... Chief Medical Officer/Authorised Medical Attendant at............ or of .... after careful and personal examination of the case hereby certify that Shri/Shrimati/Kumari .... is in a bad state of health and I solemnly and sincerely declare that, according to the best of my judgement, a period of absence from duty is essentially necessary for the recovery of his/her health and recommend that he/she may be granted leave for..................with effect from ....

*In my opinion it is/it is not necessary for the Officer to appear before a medical board.

Chief Medical Officer

Dated: *Authorised Medical Attendant.*

*This sentence should either be modified by scoring out the irrelevant words or altogether scored out according as the period of leave recommended is upto three months or exceeds that period.

Note :-1. This form should be adhered to as closely as possible and should be filled in after the signature of the government servant applying for leave has been taken. This certifying officer is not at liberty to certify that the applicant requires a change from or to a particular locality or that he/she is not fit to proceed to a particular locality. Such certificate should only be given at the explicit request of the sanctioning authority to whom it is open to decide when application on such grounds has been made to him, whether the government servant should go before a medical board to decide the question of his/her fitness for service.

Note—2-The medical certificate and history of the case as also the certificate prescribed in rule 91 or 94 (b), as the case may be, should be prepared in duplicate one copy of which government servant proceeding on leave should take with him/her for presentation to the medical board or officer who examines him/her for fitness before his/her return to duty.

90. (a) In case the certificate obtained under rule 89 recommends appearance of the government servant before a Medical Board or the period of leave recommended in the certificate obtained under rule 89 is for more than three months or leave for three months or less is extended beyond three months the government servant must, except in cases covered by rule 93, obtain the permission of the head of his office or, if he/she himself/hereself is the head of an office, of the head of his/her department to appear before a Medical Board. He/she should then present himself with two copies of the statement of his/her case before such a Board. The Board will be assembled under the provisions of paragraphs 255-258 in Chapter VI of the Uttar Pradesh Medical Manual.

(b) When the leave recommended by the CMO/Authorised Medical Attendant, as the case may be, in the certificate obtained under rule 89 is for a period not exceeding three months and such medical attendant certifies that in his opinion it is not necessary for the applicant to appear before the Medical Board, the authority competent to grant leave may despense with the procedure laid down in sub-rule (a) of this rule.

91. Before the required leave or extension of leave can be granted in cases falling under rule 90 (a) the government servant must obtain from the Board a certificate to the following effect,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-350-कार्मिक/पाकालि-29/2000-9-कार्मिक/87, दिनांक- 17 मई, 2000.

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक,
समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।

विषय :- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत महिला सेवकों हेतु प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम 153(1), जिसका उद्धरण सूचनार्थ संलग्न है, में निहित प्राविधानों के अधीन महिला सेवकों को, चाहे वह स्थायी हों अथवा अस्थायी, प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सुविधा उक्त नियम में उल्लिखित कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकतम तीन माह की सीमा के प्रतिबन्धाधीन दो बच्चों तक अनुमन्य है।

2. उक्त प्रकरण में राज्य शासन की अनुरूपता में कारपोरेशन द्वारा सहर्ष यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अब तीन माह के स्थान पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी भी दशा में, जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी सम्मिलित है, दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. प्रश्नगत संदर्भ में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के सहायक नियम 153(1) की अन्य शर्तें/प्राविधान (समय-समय पर यथा संशोधित) यथावत लागू रहेंगे।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक : यथा उपरोक्त।

भवदीय,

(ईश्वर लाल)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)।

संख्या-350(1)(कार्मिक/पाकालि-29/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0/14-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(6) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(7) समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(8) जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(9) उप महाप्रबन्धक (बैठक), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 7.4.2000 में मद संख्या-तीन(3)/2000 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(ईश्वर लाल)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0- सा0नि0)अनु0-7
संख्या: / XXVII(7)34(1) / 2009
देहरादून, दिनांक: 20 जून,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय:--राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवको को प्रसूति अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त वेतन भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अस्थायी / स्थायी महिला कार्मिकों को कार्यालय ज्ञाप संख्या:सा--04--394 / दस--99--216 / 79 दिनाक 04--06--1999 द्वारा अनुमन्य 135 दिन के प्रसूति अवकाश की सीमा को कार्यालय ज्ञाप संख्या: 250 / XXVII(7) / 2009 दिनाक 24--08--2009 द्वारा 180 दिन किया गया तथा अवकाश की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या:360 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 14 12 2009 द्वारा स्पष्टीकरण भी निर्गत किया गया। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड--02, भाग--02 से 04 के सहायक नियम 153 एवं 154 में प्रसूति अवकाश से संबंधित व्यवस्था की गई है परन्तु वेतन भुगतान की अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख नही है कि संबंधित कार्मिक को प्रसूति अवकाश की समाप्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने पर वेतन का भुगतान किया जायेगा अथवा नियमित रूप से प्रति माह वेतन का भुगतान किया जायेगा।

2-- उक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सरकारी सेवक को प्रसूति अवकाश अनुमन्य करने का उद्देश्य बच्चे की देख-भाल के लिए सुविधा अनुमन्य कराया जाना है। अतः प्रसूति अवकाश स्वीकृत होने के उपरान्त प्रतिमाह वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जाय परन्तु यह व्यवस्था गर्भपात तथा गर्भश्राव के मामलो मे जो प्रसूति अवकाश के अन्तर्गत ही आते है, के संबध में लागू नहीं होगी क्योंकि सहायक नियम 153(2) के अनुसार इसकी स्वीकृति के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संलग्नक

प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 एवं 154 के उद्धरण।

किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण वेतन पर ... इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो, चिकित्सा ... द्वारा या किसी ... अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, स्वीकृत कि... जा सकता है :—

(1) प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ के दिनांक से तीन ... तक हो सकती है।

परन्तु ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अ... स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति ... काश स्वीकृत नहीं किया जायगा, भले ही उसे ऐसा अवकाश अन्यथा अनुमन्य हो। फिर भी यदि महिला सरका... सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाय या विकलांग ... अशक्त हो जाय, तो उसे अपवाद के रूप में, इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बा... अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता...

परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन स्वी... पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।

(2) गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत गर्भस्राव भी है, प्रसूति अवकाश की अवधि सम्ब... महिला सरकारी सेवक के जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान दिये बिना प्रत्येक अवसर पर कुल छः सप्ता... हो सकती है, बशर्ते कि अवकाश के आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी-1 ············——··· निकाल दी गयी।

टिप्पणी–2–ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के ... लागू हों, इस नियम के अधीन देय अवकाश वेतन से उक्त अधिनियम के अधीन तत्सम्बन्धी अवधि के लिए ... लाभ की धनराशि को कम कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3-गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन उत्प्रेरित गर्भस्राव को भी इस ... अधीन 'प्रसूति अवकाश" स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ गर्भस्राव का मामला समझा जाना चाहिए।

154. प्रसूति छुट्टी को छुट्टी के लेखे के नामे नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य प्रका... छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

(2) प्रसूति छुट्टी के क्रम में नियमित छुट्टी भी, नवजात शिशु की बीमारी की दशाओं में इस प्र... अधीन रहते हुए स्वीकृत की जा सकती है कि महिला सरकारी कर्मचारी प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का... प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता ... के पास उसकी उपस्थिति नितान्त आवश्यक है।

(3) अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत छु... की अवधि उसकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी।

2. उक्त के सम्बन्ध में सूचनीय है कि उक्त परिपत्रादेश द्वारा मांगी गयी सूचना/सूचनायें अभी तक कारपोरेशन को उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त वांछित सूचनाएं [illegible] को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें [illegible]।

ईश्वर दास
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

अवकाश एवम् अवकाश नकदीकरण

Leave and Leave Encashment

सेवानिवृत्ति में अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में कारपोरेशन के समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों तथा समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों का वर्गीकरण

संख्या : 350-कार्मिको/रा.का.नि.-29/2000-15-कार्मिको/87 दिनांक : 3 मई, 2000

सेवानिवृत्ति में अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता विषयक तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1590-का.नि.सी/रा.नि.-20/35-15-कार्मिको/87 दिनांक 24-10-93 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुक्रम में अवकाश नकदीकरण अनुमन्यता की गणना हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नवत् किया जाता है :—

(1) समूह "क"—ऐसे अधिकारी जिनके वर्तमान धारित पद के वेतनमान का अधिकतम रु. 13,200/- या उससे अधिक हो।

(2) समूह "ख"—ऐसे अधिकारी जिनके वर्तमान धारित पद के वेतनमान का अधिकतम रु. 13,200/- से कम हो।

(3) समूह "ग"—ऐसे कर्मचारी जिनके वर्तमान में धारित पद के वेतनमान का न्यूनतम रु. 3,500/- या उससे अधिक हो।

(4) समूह "घ"—शेष सभी कर्मचारी।

2. उपर्युक्त पद समूहों का वर्गीकरण केवल अवकाश नकदीकरण की गणना हेतु ही प्रयोज्य होगा।

[illegible] पांडेय
निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत महिला सेवकों हेतु प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि

संख्या-350-कार्मिको/रा.का.नि-29/2000-9-कार्मिको/87 दिनांक : 17 मई, 2000

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के सहायक नियम 153 (1), जिसका उद्धरण सुलभार्थ संलग्न है, में निहित प्राविधानों के अधीन महिला सेवकों को, चाहे वह स्थायी हों या अस्थायी, प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सुविधा उक्त नियम में उल्लिखित अधिकतम [illegible] अतिरिक्त [illegible] तीन माह की सीमा के [illegible] तक अनुमन्य है।

2. उक्त सम्बन्ध में राज्य शासन की अनुरूपता में कारपोरेशन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अब तीन माह के स्थान पर अवकाश आरम्भ होने के दिनांक से 135 दिन तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी भी दशा जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी सम्मिलित है, दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. प्रस्तुत संदर्भ में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के सहायक नियम 153 (1) के अन्य प्राविधान समय-समय पर यथा संशोधित लागू रहेंगे।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ईश्वर दास
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

स्थानांतरण के मध्य अवकाश के साथ कार्यग्रहण काल की अनुमान्यता सम्बन्धी स्पष्टीकरण।

पत्रांक 7738-जी/रा०वि०प०-एक-5/ए/78 दिनांक अक्टूबर 24, 1978

उपर्युक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा उठाई गयी है, कि स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नये तैनाती के स्थान पर कार्य ग्रहण करने से पूर्व लिये गये अवकाश के साथ कार्यभार ग्रहण करने में प्रयुक्त समय सम्मिलित होगा अथवा नहीं। अर्थात अवकाश की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया आरम्भ होने तक मानी जायेगी या उसके पूर्ण होने तक। इस सम्बन्ध में जैसा कि समय-समय पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है सामान्यतः स्थानांतरित अधिकारी/अधिकारिक को नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करना प्रशासनिक सुविधा तथा स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः सामान्यतः इस स्थिति में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और यथा सम्भव प्रयास यही होना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारी स्थानांतरण आदेशों के पूर्ण अनुपालन में अपने नये स्थान/कार्य स्थल पर कार्य ग्रहण करने के उपरान्त ही अवकाश पर प्रस्थान करें। फिर भी अप-

वाद स्वरूप यदि असाधारण परिस्थितिवश या चिकित्सा प्रमाणक पत्र पूर्व पद से अवमुक्त होने के उपरान्त अवकाश अपेक्षित हो तो यह स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी/ सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्य नियमों के अधीन चिकित्सा प्रमाणक पर अवकाश के अतिरिक्त अवकाश की अवधि नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ही मानी जायेगी और सम्बन्धित कर्मचारी को यदि उसका स्थानान्तरण अवकाश के मध्य न हुआ हो तथा प्रश्नगत अवकाश चिकित्सा प्रमाणक पर न हों, अवकाश के साथ सामान्य कार्य ग्रहण काल अनुमन्य न होगा। तदनुसार अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि से नये स्थान पर कार्यभार पूर्णतया ग्रहण करने की तिथि तक की सम्पूर्ण अवधि अवकाश की अवधि होगी। यदि स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश पर रहने के मध्य हुए हों या प्रश्नगत अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र हो तो सम्बन्धित कर्मचारी को अवकाश के साथ सामान्य कार्य ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

कृपया सम्यक विषयों पर कार्यवाही उपरोक्तानुसार करना सुनिश्चित करें।

श्री....................का स्वास्थ्य ऐसा है कि इनको स्वस्थ होने के लिए..................की अवधि की अनुपस्थिति के अवकाश की नितान्त आवश्यकता है।"

टिप्पणी

यदि इस प्रमाण-पत्र पर केवल एक ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं तो यदि सरकारी कर्मचारी न्याय विभाग का हो तो इसे जिला और सेशन जज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों के मामले में उसे उस जिला के जिला अधिकारी या मण्डल के आयुक्त (Commissioner) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (countersign) किया जाना चाहिये।

95. प्रवर सेवा में अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी निबन्धित चिकित्सक अथवा सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र लगा होना चाहिए–

आवेदक के हस्ताक्षर..

मैं...मामले की सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षा करने पर प्रमाणित करता हूँ कि श्री...जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिये हुये हैं.............................से पीड़ित हैं। रोग के इस समय वर्तमान लक्षण हैं.............................। मेरी राय में रोग का कारण..........................है। आज की तिथि तक गिन कर रोग की अवधि..दिनों की है और जैसा कि श्री..................से पूछने पर ज्ञात हुआ, रोग का पूर्व विवरण निम्नलिखित है :

....

मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिये दिनांक..........................से...... ....अवधि के लिए इनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति नितान्त आवश्यक है।

टिप्पणी

(1) जितनी निकटता तक हो सके इसी प्रपत्र का प्रयोग होना चाहिये तथा इसको प्रार्थी के हस्ताक्षर लेने के पश्चात् भरना चाहिये। प्रमाणित करने वाले अधिकारी को इस बात की छूट नहीं है कि प्रार्थी को किसी विशेष स्थान तथा वायु परिवर्तन के लिए जाने की आवश्यकता है और न वह यही प्रमाणित कर सकता है कि वह विशेष स्थान तक जाने के लिए स्वस्थ नहीं है। ऐसा प्रमाण-पत्र केवल कार्यालय अध्यक्ष के स्पष्ट अनुरोध पर देना चाहिये जिसको (जब उसे ऐसे आधार पर आवेदन-पत्र दिया गया हो) यह निर्णय करने की छूट है कि सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा परिषद् के पास उसकी स्वस्थता के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए भेजा जाये या नहीं।

(2) नियम 96 में निर्धारित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र, मामले के पूर्व-विवरण, अगर कोई हो तो, तथा दूसरे चिकित्सीय परामर्श की दो प्रतियाँ तैयार करनी चाहिये। उसकी एक प्रति अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी को अपने साथ उस चिकित्सा अधिकारी अथवा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जानी चाहिये, जो ड्यूटी पर लौटने के लिये उसकी स्वस्थता की परीक्षा करेगा।

96. (क) जब अवकाश एक महीने या उससे कम के लिए हो तथा अक्षमता किसी निश्चित चोट के कारण न हो, अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी अपने विवेक पर, सिविल सर्जन से आवेदक की शारीरिक परीक्षा के लिए अनुरोध कर के दूसरा डाक्टरी परामर्श प्राप्त कर सकता है। यदि वे ऐसा करने का निर्णय लें तो उनको उस तिथि के बाद जिस तिथि को पहली डाक्टरी राय ली गई थी, जल्दी हो सके दूसरी डाक्टरी परीक्षा कराने का प्रबन्ध करना चाहिए।

[1][(ख) इस नियम के खण्ड (ग) के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, बीमारी के समस्त मामलों में जिनमें एक मास से अधिक की छुट्टी की आवश्यकता हो और निश्चित चोट के समस्त मामलों में स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी को प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से दोबारा चिकित्सीय राय प्राप्त करनी चाहिये और इस प्रयोजन के लिए जिस दिनांक को पहली बार चिकित्सीय राय दी गई थी, उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्रतम दिनांक के दोबारा चिकित्सीय परीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये। स्वीकृतकर्त्ता प्राधिकारी इस नियम के उपबन्धों को शिथिल कर सकता है, बशर्ते कि वह ऐसे शिथिलीकरण के प्रत्येक मामले को प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक को निर्दिष्ट करे और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक यह वांछनीय समझे कि दूर होने या बीमारी की प्रकृति के कारण नियम को शिथिल कर दिया जाये।]

(ग) यदि अवकाश की आवेदक महिला है और दूसरा चिकित्सीय परामर्श आवश्यक समझा जाये, चाहे अवकाश एक महीने से अधिक हो या न हो तो जहाँ भी सम्भव हो सिविल सर्जन से उसे सरकारी सेवा में नियुक्त किसी महिला डाक्टर से प्राप्त करने का अनुरोध करना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो, तो उसे स्वयं दूसरा चिकित्सीय परामर्श दे देना चाहिए, जहाँ आवेदिका (applicant) उसके द्वारा पूर्ण रूप से परीक्षा किए जाने की अनुमति दे दे। उन मामलों में जिनमें यह अनुमति नहीं दी जाती, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को दूसरा चिकित्सीय परामर्श अशासकीय निबन्धित (registered) महिला डाक्टर से प्राप्त करना चाहिए। यदि ऐसी महिला डाक्टर उपलब्ध न हो तो उसे दूसरा चिकित्सीय परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) उन सब मामलों में जिनमें दूसरा चिकित्सीय परामर्श लिया जाये, उस परामर्श को देने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि वह रोग के तथ्यों तथा संस्तुत किए गए अवकाश की अवधि की आवश्यकता दोनों के बारे में अपना मत व्यक्त करें। पुरुष आवेदक के मामले में सिविल सर्जन इससे अपने सामने अथवा अपने द्वारा मनोनीत किसी चिकित्सा अधिकारी के सामने उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि आवेदक की बीमारी के स्वरूप के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, तो सिविल सर्जन और यदि दूसरा चिकित्सीय परामर्श उपर्युक्त खण्ड (ग) के अन्तर्गत किसी अशासकीय निबन्धित महिला डाक्टर से प्राप्त किया जाये, तो अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी आवेदक के निवास-स्थान पर चिकित्सीय परीक्षा किये जाने का प्रबन्ध करेगा।

97. नियम 91, 94, 95 या 96 के अन्तर्गत चिकित्सीय प्रमाण-पत्र रख लेने से ही सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को अवकाश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। प्रमाण-पत्र को अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास अग्रसारित किया जाना चाहिए तथा उस प्राधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

98. निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के मामले में प्रक्रिया—निम्न श्रेणी के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन-पत्र के समर्थन में, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी जिस प्रकार के प्रमाण-पत्र को पर्याप्त समझें स्वीकार कर सकते हैं।

अवकाश प्रदान करना [Grant of Leave]

99. उन मामलों में जिनमें अवकाश के लिए दिये गये सभी आवेदन-पत्रों को, जनहित में, स्वीकार न किया जा सके, यह निर्णय करने के लिए कि किस आवेदन-पत्र को स्वीकार किया जाये, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे—

(क) सरकारी कर्मचारी जिनके बिना उस समय सरलता से काम चलाया जा सकता है।

1. अधिसूचना संख्या-सा- 4-2283/ दस -81-200-81, दिनांक 14 दिसम्बर, 1981 (प्रभावी दिनांक 14-12-1981)

स्थानांतरण के मध्य अवकाश के साथ कार्यग्रहण काल की अनुमन्यता सम्बन्धी स्पष्टीकरण।

पत्रांक 7738-जी/रा०वि०प०-एक-5/ए/78 दिनांक अक्टूबर 24, 1978

उपर्युक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय क्षेत्रों से यह जिज्ञासा उठाई गयी है, कि स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नये तैनाती के स्थान पर कार्य ग्रहण करने से पूर्व लिये गये अवकाश के साथ कार्य-भार ग्रहण करने में प्रयुक्त समय सम्मिलित होगा अथवा नहीं। अर्थात अवकाश की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया आरम्भ होने तक मानी जायेगी या उसके पूर्ण होने तक। इस सम्बन्ध में जैसा कि समय-समय पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है सामान्यतः स्थानांतरित अधिकारी/अधिकारिक को नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करना प्रशासनिक सुविधा तथा स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः सामान्यतः इस स्थिति में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये ओर यथा समग्र प्रयास यही होना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारी स्थानांतरण आदेशों के पूर्ण अनुपालन में अपने नये स्थान/कार्य स्थल पर कार्य ग्रहण करने के उपरान्त ही अवकाश पर प्रस्थान करें। फिर भी अप-

वाद स्वरूप यदि असाधारण परिस्थितिवश या चिकित्सा प्रमाणक पत्र पूर्व पद से अवमुक्त होने के उपरान्त अवकाश अपेक्षित हो तो यह स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी/ सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्य नियमों के अधीन चिकित्सा प्रमाणक पर अवकाश के अतिरिक्त अवकाश की अवधि नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ही मानी जायेगी और सम्बन्धित कर्मचारी को यदि उसका स्थानान्तरण अवकाश के मध्य न हुआ हो तथा प्रश्नगत अवकाश चिकित्सा प्रमाणक पर न हों, अवकाश के साथ सामान्य कार्य ग्रहण काल अनुमन्य न होगा। तदनुसार अवकाश पर प्रस्थान करने की तिथि से नये स्थान पर कार्यभार पूर्णतया ग्रहण करने की तिथि तक की सम्पूर्ण अवधि अवकाश की अवधि होगी। यदि स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश पर रहने के मध्य हुए हों या प्रश्नगत अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र हो तो सम्बन्धित कर्मचारी को अवकाश के साथ सामान्य कार्य ग्रहण काल अनुमन्य होगा।

कृपया सम्यक विषयों पर कार्यवाही उपरोक्तानुसार करना सुनिश्चित करें।

2. उक्त के सम्बंध में सूचनीय है कि उक्त परिषदादेश द्वारा मांगी गयी सूचना/सूची अभी तक कारपोरेशन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त वांछित सूचनाएं कारपोरेशन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

ईश्वर लाल

उप महा प्रबन्धक (कार्मिक)

अवकाश एवम् अवकाश नकदीकरण

Leave and Leave Encashment

सेवावधि में अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में कारपोरेशन के समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों तथा समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों का वर्गीकरण

संख्या : 352-कार्मिक/पा.का.लि.-29/2000-15-कार्मिक/87

दिनांक : 3 मई, 2000

सेवावधि में अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता विषयक पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1590-कार्मिक/रा.वि.प.-29/99-15-कार्मिक/87 दिनांक 5-10-99 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुक्रम में अवकाश नकदीकरण अनुमन्यता की गणना हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समूह 'क' एवं 'ख' तथा 'ग' एवं 'घ' में श्रेणीवार वर्गीकरण एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता है :—

(1) समूह "क"—ऐसे अधिकारी जिनके वर्तमान धारित पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 15,200/- एवं उससे अधिक हो।

(2) समूह "ख"—ऐसे अधिकारी जिनके वर्तमान धारित पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 15,200/- से कम हो।

(3) समूह "ग"—ऐसे कर्मचारी जिनके वर्तमान धारित पद के वेतनमान का न्यूनतम रु० 3,500/- एवं उससे अधिक हो।

(4) समूह "घ"—शेष सभी कर्मचारी।

2. उपर्युक्त पद समूहों का वर्गीकरण केवल अवकाश नकदीकरण की पात्रता हेतु ही प्रयोज्य होगा।

भुवन चन्द्र पांडेय

निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत महिला सेवकों हेतु प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि

संख्या-350-कार्मिक/पा.का.लि.-29/2000-9-कार्मिक/87

दिनांक : 17 मई, 2000

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम 153 (1), जिसका उद्धरण सूचनार्थ संलग्न है, में निहित प्राविधानों के अधीन महिला सेवकों को, चाहे वह स्थायी हों या अस्थायी, प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की सुविधा उक्त नियम में उल्लिखित कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकतम तीन माह की सीमा के प्रतिबन्धाधीन दो बच्चों तक अनुमन्य है।

2. उक्त प्रकरण में राज्य शासन की अनुरूपता में कारपोरेशन द्वारा सहर्ष यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अब तीन माह के स्थान पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी भी दशा में, जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी सम्मिलित है, दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. प्रश्नगत संदर्भ में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के सहायक नियम 153 (i) के अन्य प्राविधान समय-समय पर यथा संशोधित लागू रहेंगे।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ईश्वर लाल

उप महा प्रबन्धक (कार्मिक)

संलग्नक

प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 एवं 154 के उद्धरण।

किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण वेतन पर इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो, विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी नि... प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, स्वीकृत कि... जा सकता है :—

(1) गर्भावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ के दिनांक से तीन म... तक हो सकती है।

परन्तु ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अ... स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति ... काश स्वीकृत नहीं किया जायगा, भले ही उसे ऐसा अवकाश अन्यथा अनुमन्य हो। फिर भी यदि महिला सर... सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाय या विकलां... अपंग हो जाय, तो उसे अपवाद के रूप में, इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बा... अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता...

परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन स्वी... पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।

(2) गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत गर्भस्राव भी है, प्रसूति अवकाश की अवधि सम्ब... महिला सरकारी सेवक के जीवित बच्चों की संख्या का ध्यान दिये बिना प्रत्येक अवसर पर कुल छः सप्ता... हो सकती है, बशर्ते कि अवकाश के आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी-1..................निकाल दी गयी।

टिप्पणी—2—ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उ... लागू हों, इस नियम के अधीन देय अवकाश वेतन से उक्त अधिनियम के अधीन तत्समान अवधि के लिए अ... लाभ की धनराशि को कम कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3-गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन उत्प्रेरित गर्भस्राव को भी इस ... के अधीन "प्रसूति अवकाश" स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ गर्भस्राव का मामला समझा जाना चाहिए।

154. प्रसूति छुट्टी को छुट्टी के लेखे के नामे नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य प्रक... छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

(2) प्रसूति छुट्टी के क्रम में नियमित छुट्टी भी, नवजात शिशु की बीमारी की दशाओं में इस प्र... के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जा सकती है कि महिला सरकारी कर्मचारी प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का... आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता ... शिशु के पास उसकी उपस्थिति नितान्त आवश्यक है।

(3) अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत की छुट्टी की अवधि उसकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी।